

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/से.नि./जोन-उदयपुर/एफ. 23369/2024/158 दिनांक : 13-02-24

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि. तिथि
1.	श्री जमनालाल सुखवाल, वरिष्ठ सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लसाडिया, जिला सलूमबर।	12.08.1964	31.08.2024
2.	श्रीमती मधुबाला जैन, वरिष्ठ सहायक	जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला क्षय निवारण केन्द्र, उदयपुर।	17.04.1964	30.04.2024

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/से.नि./जोन-उदयपुर/एफ. 23369/2024/158 दिनांक 13-02-24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सलूमबर।
3. जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला क्षय निवारण केन्द्र, उदयपुर।
4. प्रभारी, डीपीसी (अराजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. सम्बन्धित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5543906

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval
Designation : Director
Date :08-02-2024 06:15:42